कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ ।

पत्रांक:- 69-सीएफओ-एनओसी/टी/09 दिनांक: दिसम्बर 26, 2009

सेवा में,

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।

विषय:- प्रस्तावित रेजिडेन्शियल बिल्डिंग द्वारा श्री ऋषिकेश जैन पुत्र श्री आनन्द कुमार जैन आदि द्वारा खसरा नं0 304 ग्राम अब्दुल्लापुर, परगना तहसील मेरठ में ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु जिसका कुल प्लाट एरिया 4700 वर्गमीटर, बेसमेन्ट कवर्ड एरिया 1611.32 वर्गमीटर, भूतल कवर्ड एरिया 1611.32 वर्गमी0, प्रथमकवर्ड एरिया से पाँचवे तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 1398.50 वर्गमीटर, छटे तल से सातवे तल तक का प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया 1390.50 वर्गमीटर, ममटी एंव लिफ्ट का कवर्ड एरिया 24.85 वर्गमीटर, सभी तलो का टोटल कवर्ड एरिया 13020.99 वर्गमीटर, भवन की ऊँचाई 24.46 मीटर तथा ओवर ऑल ऊँचाई 27 मीटर प्रस्तावित है ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक अग्निसुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण आख्या ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1596/09/मा0 अनु0 जोन-डी/मयंक/09 दिनाँक 21-12-2009

कृपया उपरोक्त विषयक एंव सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ द्वारा कराया गया तो निरीक्षण आख्या दिनांक: 25-12-09 के अनुसार प्रस्तावित अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षित है भवन स्थल की फायर सर्विस के वाहन किसी आपातस्थिति में आसानी से आ जा सकते है भवन के अन्दर सभी स्थायी इन्सटालेशन व वाहरी सुरक्षा व्यवस्था हेतु अग्नि-निवारण और अग्निसुरक्षा अधिनियम-2005 के पार्ट-4 फायर एण्ड लाईफ सैफ्टी की टेबिल 23 के ग्रुप ए रेजिडेन्शियल बिल्डिंग में निहित अग्निशामक प्राविधानुसार जैसे फायर एक्सटिंग्यूशर्स प्रत्येक तल पर, मानक के अनुरूप, फायर होजरील सिस्टम प्रत्येक तल पर, डाउनकमर सिस्टम, मैनुअली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम, ओटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम बेसमेन्ट, टैरेस टैंक क्षमता 25000 लीटर, टैरेस पम्प क्षमता 900 लीटर प्रति मिनट स्थापित किये जाये साथ ही भवन में फायर एक्जिट, पी0ए0 सिस्टम के प्राविधान के साथ-साथ सेटबैक का प्राविधान भी किया जाये ।

अन्य सुझाव:-

1- भवन में लिफ्ट के प्राविधान सिस्टम के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट 4 के क्लॉज सी के 1.5 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये ।

11

2- भवन में स्टेयर केसों के प्रेशराइजेशन सिस्टम के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट-4 के क्लॉज 4.10.6 व 4.10.7 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

3- भवन में रिफ्यूज एरिया के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के क्लॉज 4.12.1 से 4.12.3 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

4- भवन में एयर कन्डीशनर के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 पार्ट 4 के क्लॉज सी के 1.17 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

5- भवन मे प्रदिप्त संकेत चिन्ह के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के क्लॉज 1.14 से 1.15 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

6- भवन में विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के क्लॉज 1.12ए से एच तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

7- भवन में ट्रान्सफार्मर की अग्निसुरक्षा व्यवस्था के लिये मल्टी फायर सिस्टम व इलैक्ट्रिक पेनल के लिये सी0ओ02 फ्लाडिंग सिस्टम का प्राविधान किया जाये।

8- भवन में फायर कन्ट्रोल रूम की स्थापना के लिये नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के क्लॉज सी-5 मे दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

भवन में अग्निशमन प्रणाली की स्थापना हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के पार्ट 3 व 4 तथा आई0एस0-3844-1989 (1995) का पालन एवं भवन निर्माण विकास उपविधि-2008 मे दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये इसमें किसी प्रकार का डेविएशन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

उक्त भवन निर्माण होने के उपरान्त उपरोक्त समस्त अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को स्थापित कर सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना नितान्त आवश्यक होगा ताकि मानकों के अनुरूप निरीक्षण/परीक्षण कराकर अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं के प्राविधान बाद ही स्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जायेगा जो भवन स्वामी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अतः उक्त भवन निर्माण हेतु मानचित्र/साईट प्लान का अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक अग्निसुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र

अग्निशमन अधिकारी
मेरठ।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
आई0 एस0 सोनी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मेरठ।

प्रतिलिपि: 1- श्री [illegible] जैन पुत्र श्री आनन्द कुमार जैन एवं अन्य, 209 [illegible]पुर नगर, गली नं0-05, मेरठ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

2- अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन, मेरठ को उनकी निरीक्षण आख्या दिनांक 25-12-09 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।